भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2295

दिनांक 31 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

निजी क्लीनिकों में मनमाने शुल्क

2295. श्री राजेश रंजनः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि देश के अनेक राज्यों में निजी क्लीनिक, नर्सिंग होम तथा तथाकथित सुपर मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल रोगियों से मनमाना शुल्क वसूल रहे हैं और उन्हें केवल अपने संबद्ध केन्द्रों पर अनावश्यक अल्ट्रासाउंड, एमआरआई तथा अन्य नैदानिक जांच कराने के लिए विवश कर रहे हैं तथा बकाया राशि का भुगतान न होने पर मृत रोगियों के शव परिजनों को सौंपने से इंकार कर रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वेंटिलेटर सहायता के नाम पर अवैध शुल्क वसूले जाने तथा एक ही चिकित्सक द्वारा बार-बार परामर्श शुल्क लिए जाने संबंधी शिकायतें सरकार के संज्ञान में आई हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केंद्र सरकार की ऐसे अस्पतालों में उपचार दर, जांच मानकों तथा परामर्श अवधि के लिए राष्ट्रीय मानक दिशानिर्देश निर्धारित करने तथा राज्य सरकारों द्वारा उनकी अनुपालना सुनिश्चित कराने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ङ): 'स्वास्थ्य' राज्य का विषय है, अत: रोगियों से मनमाना शुल्क लेने, उन्हें केवल अपने संबद्ध केंद्रों पर ही अनावश्यक अल्ट्रासाउंड, एमआरआई और अन्य नैदानिक जाँचें करवाने के लिए बाधित करने और मृत रोगियों के शवों को रोके रखने जैसी समस्याओं से निपटने की मुख्य ज़िम्मेदारी संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है।

तथापि, भारत सरकार ने नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 (सीई अधिनियम) अधिनियमित किया और सरकारी (सशस्त्र बल संबंधित स्थापन को छोड़कर) के साथ-साथ चिकित्सा की मान्यता

प्राप्त प्रणालियों से संबंधित निजी नैदानिक स्थापनों के रजिस्ट्रीकरण और विनियमन के लिए नैदानिक स्थापन (केंद्र सरकार) नियम, 2012 यथासंशोधित 2018 और 2020 (सीई नियमावली) को अधिसूचित किया। सीई अधिनियम के अनुसार, नैदानिक स्थापनों को प्रदान की जाने वाली प्रत्येक प्रकार की सेवा के लिए न्यूनतम मानकों की शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। सीई अधिनियम को 19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (12 राज्यों, अर्थात, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश और 7 संघ राज्य क्षेत्रों, अर्थात, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुडुचेरी) द्वारा अपनाया गया है। नैदानिक स्थापनों के रजिस्ट्रीकरण के लिए, सीई नियमावली में अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

(i) प्रत्येक नैदानिक स्थापन को रोगियों की सुविधा के लिए, प्रदान की जाने वाली प्रत्येक सेवा और उपलब्ध सुविधाओं के लिए ली जाने वाली दरों को स्थानीय और अंग्रेज़ी भाषा में किसी ऐसी जगह पर प्रदर्शित करना होगा जहाँ वे आसानी से दिख सकें।

(ii) नैदानिक स्थापन प्रत्येक प्रकार की प्रक्रियाओं और सेवाओं के लिए दरों की उस सीमा के भीतर शुल्क लेंगे जो केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के परामर्श से निश्चित और जारी की हैं। इस संबंध में, केंद्र सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ कई बार विमर्श किया है। यह मामला अभी भारत के सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

(iii) नैदानिक स्थापन मानक उपचार दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

'स्वास्थ्य' राज्य का विषय है, इसलिए जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने सीई अधिनियम को अपनाया है, वे अपने-अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सीई अधिनियम के प्रावधानों को लागू/ कार्यान्वित करने के लिए मुख्य रूप से ज़िम्मेदार हैं। इस अधिनियम ने ज़िला स्तर पर ज़िला कलेक्टर/ज़िला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण को अधिकार दिया है कि वह अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में शास्ति लगाने जैसी कार्रवाई कर सके। यदि अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो रजिस्ट्रीकरण रद्द करने का भी प्रावधान है। ऐसे नैदानिक स्थापन के प्रति की गई कार्रवाई का डेटा और विवरण केंद्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है। जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने सीई अधिनियम को नहीं अपनाया और लागू नहीं किया है, वहां के नैदानिक स्थापन का रजिस्ट्रीकरण और विनियमन संबंधित राज्य के अधिनियमों के तहत किया जाता है।
